



Modern Threads (India) Limited

Registered Office :

Modern Woollens, Pragati Path,
BHILWARA-311001 (Rajasthan), INDIA

Phone : +91-1482-241801

E-mail : cs@modernwoollens.com

Website : www.modernwoollens.com

CIN : L17115RJ1980PLC002075

Date: 31.05.2025

The Manager,
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street
MUMBAI - 400 001
Script Code: 500282

The Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block Bandra Kurla Complex
Bandra (E) Mumbai – 400051
Script Code: MODTHREAD

Dear Sir/Madam,

Sub.: Announcement under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 — Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 47 and 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed herewith copies of the newspaper publications pertaining to the extract of standalone audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2025. The Audited financial results was approved in the Board Meeting held on 30th May, 2025.

The said extract of audited financial results were published in the Lok Jeevan, (Hindi Edition) and The Indian Express (English Edition) on 31/05/2025. This information will also be hosted on Company's website at www.modernwoollens.com

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully

For Modern Threads (India) Limited

(Anil Kumar Jain)
Company Secretary & Compliance Officer
M.No F:7842



आज का विचार

अपने पराये का अंतर हमेशा साफ नजर आएगा। बाहरी सिर्फ स्वार्थ पूर्ण के लिए हमसे जुड़ता है लेकिन हमारा अपना तो बुरे वक्त में भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता है।

शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)

लोकजीवन

भारत की सुरक्षा में मेक इन इंडिया ...

ऑपरेशन सिंदूर ने देश ही नहीं दुनिया को स्वदेश निर्मित हथियारों, उपकरणों व तकनीक को लोहा बनवा लिया है। निशाने पर सटीक हमला कर दुश्मन की योजनाओं को न केवल विफल कर दिया बल्कि खुद पाकिस्तान को अंदजा नहीं था कि वह हमले की शुरुआत करेगा इससे पहले ही भारतीय मिसाइलें उनके रक्षा तंत्री को ही तहत-जबस कर देगी। खुद पाक प्रधानमंत्री के मुंह से भी सच उगल गया, जब उन्होंने अजर बेजान में भारत के साथ संघर्ष की बात कही। उन्होंने खुद की सरकार व सेना की तारीफ करते हुए बता दिया कि कैसे उनकी सेना को भारत से मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि 10 मई को फजर की नमाज के बाद यानी 4.30 बजे आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना भारत पर हमला करेगी। इससे पहले की पास्तान की सेना हमला करती, उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर हमारे रावलपिंडी सहित कई एयरबेस नष्ट कर दिये। पाकिस्तान हमले के लिए तैयार था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने स्वदेशी को बढ़ावा देने की भावना को जोरदार बल मिला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकल फोर वॉकल पर हमेशा जोर देते हैं। लगातार जनता से आग्रह करते रहे हैं कि स्थानीय उत्पादों को खरीद कर स्वदेशी को बढ़ावा दे। आज यदि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्म निर्भर है और समूचा रक्षा तंत्री भारतीय है तो उसी का लाभ है कि हमारे अपने संसाधन हमारी सेनाओं को विजयी अभियान में मदद कर रहे हैं।

वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को देश की बड़ी जीत बताया। उन्होंने स्वदेशी हथियारों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने सिर्फ 'मेक इन इंडिया' कहा नहीं बल्कि करके दिखाया है। यह उद्योगों और सेना के बीच भरोसे और तालमेल से संभव हुआ है हमें एक-दूसरे के प्रति वफादार रहने की जरूरत है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) हमारा होगा। वहां के लोग हमारे अपने हैं। पीओके एक दिन खुद कहेगा कि वह भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आलोकवाद के मुद्दे पर बात होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके में रहने वाले हमारे भाईयों की हालत वीर योद्धा महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जैसी है पीओके का भारत में एकीकरण सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पीओके वापस नहीं ले लेते। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में मेकइन इंडिया अहम कम्पोनेंट है। हमारे पर यह क्षमता नहीं होती तो हमारी सेना पाकिस्तान को धूल नहीं चटा पाती। पाक को आतंक का कारोबार चलाने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका अंदाजा उसे अच्छे से हो गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रेरणा से अन्य क्षेत्रों में भी आयातित सामग्री का मोह छोड़कर स्वदेशी को अपनाया जाए ताकि देश के उद्यमी रूचाई पर पहुंच सकें।

कड़वी घूंट

-सुरज

मंत्री ने पकड़ी नकली ...

हर चीज चाहे वह खाने की ही क्यों न हो नकली मिल जाएगी। चुंकि अखाद्य सामग्री नकली हुई या नुकसान दायक हुई तो भी जनहानि की आशंका तो नहीं रहती। लेकिन नकली का काराबार करने वालों को इससे कोई लेना-देना नहीं कि उनकी वजह से कितने लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है। वे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करके मोटा मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन नकली सामग्री के दुष्परिणाम भुगतने वालों पर तो दोहरी मार पड़ेगी कि धन भी गया और फल भी नहीं मिला। विपरीत इसके किसान ही वह वर्ग है जो अन्न वस्त्र सहित जीवन की हर जरूरत की पूर्ति वाली फसल का उत्पादन करता है धरती हर जरूरत पूरी करती है लेकिन बेईमान लोग नकली खाद बीज बनाने से भी नहीं चूकते। कड़ी मेहनत की कमाई से किसान खाद खरीद कर अच्छी फसल की आस लगाता है। परन्तु खाद ही नकली हो तो फसल बर्बाद हो सकती है।

हां विमागीय स्तर पर नकली कारोबार पर अंकुश लगाने की कार्यावाही तो कब होगी लेकिन प्रेश के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा अजमेर, जयपुर, किशनगढ़ के आसपास 12 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर छापा मारो जहां जमीनों को बंजर बनाने वाली खाद बन रही थी। मार्बल व कोयले के चूरे में मिट्टी और रंग मिलाकर डीएपी सहित नामी कम्पनियों के नाम से नकली। खाद बनाई जा रही थी। हजारों कट्टो के संपल लिये तथा कई सीज की गई। अब यह आप जानो कि किना मिलीभगत के ऐसा कारोबार संभव नहीं है। फिर बेचारे किसानों के साथ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कि खाद ही नकली मिल रही है।

सुरक्षित और सुविधायुक्त परिवहन राज्य सरकार की प्राथमिकता- सीएम भजनलाल शर्मा



राजस्थान रोडवेज का बदलेगा

परिदृश्य, सुविधायुक्त होंगी

बसें और बस स्टैंड

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुस्थित एवं सुविधायुक्त बनाने



के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बसें में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कार वाले भी बसों में यात्रा के लिए प्रेरित हों। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास की परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रोडवेज चालक, परिचालक सहित सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित करने के निर्देश दिए। इसमें रोडवेज बस सुविधाओं के आधुनिकीकरण, सुव्यवस्थित परिवहन में सबकी भागीदारी, स्वच्छता और नियमों की पालना जैसे विषयों की विस्तृत जानकारी दी

जाए। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड और विश्राम स्थलों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें एक ही रंग में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम भविष्य को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार करे। सुस्थित सफर के साथ बसों में भोजन और सरस उत्पाद उपलब्ध कराने का नवाचार किया जाए। उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के

लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों में कैमरे और जीपीएस स्थापित करें। लोक परिवहन बसों का भी कलर निर्धारण संचालन समयबद्ध सुनिश्चित कराए। राजस्थान व्हीकल स्कैप पॉलिसी शीघ्र लागू की जाए तथा ऑटोमैटिक टैरिफिंग स्ट्रेटन भी आरंभ किए जाएं। श्री शर्मा ने कहा कि सुव्यवस्थित परिवहन सेवाओं के लिए देश के अन्य राज्यों का अध्ययन कराए। विशेषज्ञों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएं। शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, सभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने में इलेक्ट्रिक वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद बैरा सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन परमिट जारी करने से पहले रूट निर्धारण करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, राजकीय कार्यालयों का विशेष ध्यान रखा जाए। नई बसों की खरीद व किया जाए। नए बसों के पंजीकरण से पहले व्हीकल स्कैप पॉलिसी शीघ्र लागू की जाए तथा ऑटोमैटिक टैरिफिंग स्ट्रेटन भी आरंभ किए जाएं। श्री शर्मा ने कहा कि सुव्यवस्थित परिवहन सेवाओं के लिए देश के अन्य राज्यों का अध्ययन कराए। विशेषज्ञों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएं। शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, सभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने में इलेक्ट्रिक वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद बैरा सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राजमहल परिसर में निर्माणाधीन पानी की टंकी के निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक, यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश

शाहपुरा। आर्य समाज शाहपुरा के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ में एक जन हित याचिका दर्ज की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान के द्वारा जो राजमहल परिसर में 4 लाख लीटर की क्षमता वाला जलाशय का जो निर्माण किया जा रहा है वो गैरकानूनी है। याचिका में यह कहा गया है की पानी की टंकी के निर्माण के संबंधित शिक्षा विभाग जिसमें राजमहल परिसर की जमीन का



मालिकाना हक निहित है उनसे किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं ली गई है और नगर परिषद ने भी इस राजमहल परिसर में बनायी जा रही पानी की टंकी की कोई परमिशन नहीं दी है। इन हित याचिका में बताया कि राजमहल परिसर में ही आर्य समाज शाहपुरा द्वारा यह पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है जिला कलेक्टर ने भी जो इस संबंध में जो आदेश दिया है वो गैरकानूनी है। राजमहल परिसर में लग भाग 400 वर्ष पूर्व बनाई गई

हजारों मौजूद हैं जिसका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व है और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान ने भी इस निर्माण को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए लिखा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जन हित याचिका में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं और राजमहल परिसर में बनाई जा रही पानी की टंकी के निर्माण पर रोक लगाते हुए उस स्थान की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है।

इमारत मौजूद हैं जिसका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व है और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान ने भी इस निर्माण को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए लिखा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जन हित याचिका में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं और राजमहल परिसर में बनाई जा रही पानी की टंकी के निर्माण पर रोक लगाते हुए उस स्थान की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है।

अजय को किया सम्मानित



शाहपुरा। सेवा भारती शाहपुरा इकाई द्वारा सेवा बस्ती के अजय कालबेलिया को दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर सम्मान किया गया। सेवा भारती शाहपुरा इकाई के अध्यक्ष प्रहलाद सनाद्व्य की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अजय कालबेलिया ने विषम परिस्थितियों में भी कड़ी मेहनत कर यह सफलता हासिल की है। सनाद्व्य ने बताया कि सेवा भारती बंचित बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का कार्य करती है। अजय की इस उपलब्धि पर उन्हें मिठाई खिलाकर अभिनंदन और सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेवा भारती के अध्यक्ष प्रहलाद सनाद्व्य, नगर संघ चालक कन्हैया लाल वर्मा, पर्यावरण गतिविधि जन संवाह प्रमुख परमेश्वर प्रसाद कुमावत, जिला मंत्री सत्यनारायण धाकड़, सेवा भारती के सदस्य मदन लाल रगर ने सेवा संस्कार और शिक्षा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रचार मंत्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, प्रभु लाल कुमावत, राकेश सेन सहित सेवा बस्ती से जौरा नाथ, कमलेश नाथ, रामेश्वर नाथ, अजय नाथ और जसोदा देवी मोटर देवी भी उपस्थित रहे।

निरंभ प्रतियोगिता का परिणाम कल शाहपुरा। नगर माहेश्वरी समाज द्वा्र छह दिवसीय महेश नवमी महोत्सव व कार्यक्रम में आज दूसरे दिन 31 मई शनिवार को प्रचार प्रसार प्रमुख चांद मल मुंडड़ा एवं राम प्रकाश कावका को कार्यालय प्रभारी शिव प्रकाश आगीवाल ने बताया कि साय 4 बजे निरंभ प्रतियोगिता आयोजित हुई। उनके परिणाम 1 जून 25 रविवार को घोषित किए जाएंगे। महेश नवमी महोत्सव घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज दूसरे दिन 31 मई शनिवार को महिला प्रतियोगिता कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती चंचल बेली ,संगीता अजमेरा प्रभारी पुनम चेचानी एवं रंघु मारु ने बताया कि दोपहर बाद 2 बजे सलाद सजाओ प्रतियोगिता जूनियर सैनियर बालिका वर्ग में, दोपहर 3 बजे फावर लेस कुकिंग प्रतियोगिता ,दोपहर 3:30 बजे मां बेबी जोड़ी प्रतियोगिता ,दोपहर 4:15 बजे एक मिनट प्रतियोगिता , 4:30 बजे बोलत रेस प्रतियोगिता सब जूनियर वर्ग की आयोजित होगी।

निशान यात्रा में उमड़े भक्त,गुंजे श्याम बाबा के जयकारे, राष्ट्रभक्ति का दिखाया जज्बा

भीलवाड़ा। शहर के शास्त्रीनगर सी सेक्टर स्थित श्री श्याम मंदिर के 28वें वार्षिकोत्सव के तहत श्री श्याम मंदिर सेवा मण्डल समिति के तत्वावधान में आयोजित विशाल भजन संध्या के दौरान दिखा। देर रात तक चली भजन संध्या में मशहूर भजन गायक जयपुर के आयुष सोमानी एवं पानीपत के आशु वर्मा ने श्याम बाबा की भक्ति के विभिन्न रागों से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक भक्तिरस से सरावों कर देने वाले भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बनाया। उन्होंने भजनों व गीतों की प्रस्तुति देकर श्याम बाबा के श्रीचरणों में भक्ति व श्रद्धा के पुष्प समर्पित किए। हर भजन के साथ श्याम बाबा के जयकारे भी गुंजायमान होते



रहे। भजनों पर श्याम भक्त जमकर थिरकते रहे। भजन संध्या के शुरू में ज्योत प्रज्वलित कर श्याम बाबा की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। गणपति वंदना भीलवाड़ा की प्रतिभावान गायिका मिताली मानसिंहका और सिद्धि खंडेलवाल ने प्रस्तुत की। आयोजन में हरिशोवधाम के महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज का



समर्पित भाव से पूर्ण सहयोग प्रदान किया। श्री श्याम मंदिर सेवा मण्डल समिति के तत्वावधान में शुक्रवार सुबह निशान यात्रा के साथ 28वें वार्षिकोत्सव का भव्य आगाज हुआ। श्री श्याम मंदिर तक भव्य निशान पदयात्रा श्याम भक्तों द्वारा निकाली गई। निशान पदयात्रा में 201 से अधिक निशानों के साथ श्याम भक्त शामिल हुए। वार्षिकोत्सव के तहत मंदिर में श्याम बाबा की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार करने के साथ फूलों से विशेष भव्य सजावट की गई है। मंदिर में स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा का बनारस व जयपुर से आए कलाकारों द्वारा देशी व विदेशी फूलों से श्रृंगार किया गया।

श्याम प्रभु की महिमा अपरम्पार ...

समर्पित भाव से पूर्ण सहयोग प्रदान किया। श्री श्याम मंदिर सेवा मण्डल समिति के तत्वावधान में शुक्रवार सुबह निशान यात्रा के साथ 28वें वार्षिकोत्सव का भव्य आगाज हुआ। श्री श्याम मंदिर तक भव्य निशान पदयात्रा श्याम भक्तों द्वारा निकाली गई। निशान पदयात्रा में 201 से अधिक निशानों के साथ श्याम भक्त शामिल हुए। वार्षिकोत्सव के तहत मंदिर में श्याम बाबा की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार करने के साथ फूलों से विशेष भव्य सजावट की गई है। मंदिर में स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा का बनारस व जयपुर से आए कलाकारों द्वारा देशी व विदेशी फूलों से श्रृंगार किया गया।

अहिल्या बाई होलकर के पदचिह्नों पर चलने का लिया संकल्प

शाहपुरा। तहसील के कादी सहना गांव में लोक माता रानी अहिल्या बाई होलकर की 300 वी जन्म जयंती के अवसर पर कार्य शाला आयोजित हुई। कार्य शाला में दान पुण्य करने का रानी अहिल्या बाई होलकर के पदचिह्न पर चलने का महिलाओं ने संकल्प लिया बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में जीएसएस अध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा, कान्हा गाड़ी, नारायण गाड़ी, रौनक, कमला देवी, सीता देवी, माया, गणेश गाड़ी, पयल गाड़ी, संतोष, पूजा सेनी, मनभर देवी गाड़ी, ने कहा रानी अहिल्या बाई होलकर ने एक स्त्री होकर उस युग में शासन की बाग डोर संभाली जब महिलाओं को अधिकार तक नहीं मिलते थे उनका जीवन दर्शाता है कि त्याग दूरदर्शिता और आत्म बल के साथ कोई भी समाज में अमिट छाप छोड़ सकता है अखिल

शाहपुरा। तहसील के कादी सहना गांव में लोक माता रानी अहिल्या बाई होलकर की 300 वी जन्म जयंती के अवसर पर कार्य शाला आयोजित हुई। कार्य शाला में दान पुण्य करने का रानी अहिल्या बाई होलकर के पदचिह्न पर चलने का महिलाओं ने संकल्प लिया बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में जीएसएस अध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा, कान्हा गाड़ी, नारायण गाड़ी, रौनक, कमला देवी, सीता देवी, माया, गणेश गाड़ी, पयल गाड़ी, संतोष, पूजा सेनी, मनभर देवी गाड़ी, ने कहा रानी अहिल्या बाई होलकर ने एक स्त्री होकर उस युग में शासन की बाग डोर संभाली जब महिलाओं को अधिकार तक नहीं मिलते थे उनका जीवन दर्शाता है कि त्याग दूरदर्शिता और आत्म बल के साथ कोई भी समाज में अमिट छाप छोड़ सकता है अखिल

मानसून आने वाला, प्रशासन अलर्ट, नालों की सफाई, बिजली तार कसने के निर्देश

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबित राजस्व प्रकरणों के निस्तारा और सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा-नालों की सफाई, विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था, मौसमी बीमारियों की रोकथाम और राजस्व प्रकरणों के शीघ्र समाधान के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाए। संपर्क पोर्टल, भूमि रूपांतरण, पंजीयन, पीएम किसान योजना, भूमि आवंटन सहित विभिन्न विषयों पर प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश

दिए गए। बैठक में जिले में भू-आवंटन, भू-रूपांतरण और नामान्तरण सहित सभी तरह के राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। कलेक्टर ने नगर निकाय क्षेत्र के एवं यूआईटी क्षेत्र में समय

से समस्त नालों-नालियों की समुचित सफाई करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बरसाती पानी की निकासी को लेकर समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने किसी भी संभावित दुर्घटना से निवारण के लिए सफाई के बाद नालों को वापस सही से ढकने की बात भी कही। जलभराव की समस्या ना हो, इसके लिए आवश्यक तैयारी करने, खुले चैनल ढकने, गड्ढे भरवाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर संधु ने मानसून के महेनजर संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम और जलभराव वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर यहां विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मानसून के दृष्टिगत मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए बरसाती जल का ठहवर

नहीं हो, इसके महेनजर सीएमएचओ को जिले भर में एंटी लार्वा गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए। अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, ईटीग्रेटेड वाई बनाने व स्वास्थ्य कार्मिकों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। बिजली के झिले तारों को कसने, खर-खरक के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग को कहा। पानी-बिजली सप्लाई दुरुस्त रखने की बात कही। संबंधित अधिकारियों को पानी की सप्लाई वाले फीडर की विद्युत सप्लाई निबंध रखने को कहा। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। बैठक में एडीएम प्रशासन ओमप्रकाश मेहरा ने सभी अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए।

नहीं हो, इसके महेनजर सीएमएचओ को जिले भर में एंटी लार्वा गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए। अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, ईटीग्रेटेड वाई बनाने व स्वास्थ्य कार्मिकों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। बिजली के झिले तारों को कसने, खर-खरक के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग को कहा। पानी-बिजली सप्लाई दुरुस्त रखने की बात कही। संबंधित अधिकारियों को पानी की सप्लाई वाले फीडर की विद्युत सप्लाई निबंध रखने को कहा। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। बैठक में एडीएम प्रशासन ओमप्रकाश मेहरा ने सभी अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए।

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

शाहपुरा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में नई मुस्कांन शा मुक्ति केंद्र पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परभावों के लोगों को जागरूक करना एवं इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना रहा। अधिवक्ता अंकित शर्मा ने बताया कि तंबाकू का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए घातक है, बल्कि यह समाज व परिवार के लिए भी गंभीर समस्या बन चुका है। उन्होंने नशे की लत से पीड़ित लोगों को नशे से होने वाले संभावित नुकसान बताये व स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (प्रतिबंध और विनियमन) अधिनियम, 2003 की जानकारी दी। सार्वजनिक स्थानों पर भूषणन प्रतिबंधित है, तथा इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। इस अवसर पर निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा भी प्रदान की गई तथा जनसाधारण को जागरूकता संबंधी पुस्तिकाएं वितरित की गईं। इस दौरान तालुका सचिव शिवराज धाकड़ व पीएलबी अभय गुर्जर व स्टाफ कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

दिनांक 31/05/2025

आम सूचना

मेरे व्यवहारी नसीर उमरुल्लाह नौलगर पुत्र सुल्तान नौलगर निवासी नाडी के पीछे, गुलजार नगर, (सुदामा नगर) भीलवाड़ा राज. की ओर से हरखसाआम, नगर परिषद के अधिकारीगण एवं सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मेरे व्यवहारी का मकान जो गुलजार नगर/सुदामा नगर, विद्यालय के पास, नाडी के पीछे, भीलवाड़ा में स्थित है, पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 02, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 146/2021 मु.द. में न्यायालय ने दिनांक 04/11/2023 को स्थगन / स्टे जारी कर रखा है और वर्तमान में भी मेरे व्यवहारी के मकान पर न्यायालय का स्टे है। कोई भी व्यक्ति या नगर परिषद के अधिकारीगण मेरे व्यवहारी की जायद्वारी को क्षतिग्रस्त करने, तोड़ने, मेरे व्यवहारी को जबरन बेदखल करने या उपयोग उपभोग करने में व्यवधान करने का प्रयास ना करें। अन्यथा ऐसा व्यक्ति न्यायालय के आदेश की अवमानना एवं कट्टेमेद का व्यक्ति गत रूप से दोषी होगा। सो सूचित रहें।

अभिमन्यु जोशी
एडवोकेट

NUTECH GLOBAL LIMITED		EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025			
		Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.03.2024
No.		Particulars			
1.	Total Income from Operations (Net)	756.94	687.98	874.87	3513.33
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(9.09)	(11.25)	25.63	(48.26)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(9.09)	(11.25)	25.63	(48.26)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	11.06	(11.25)	15.47	(28.11)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	11.06	(11.25)	15.47	(28.11)
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	320.37	320.37	320.37	320.37
7.	Reserve excluding Revaluation Reserve			260.08	289.20
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):	0.35	(0.35)	0.48	(0.91)
1.	Basic				
2.	Diluted				
Note:					
1. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 30th May 2025. The statutory Auditors have audited the results for the quarter and year ended March 31st 2025.					
2. The Financial Statement of the Company has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognized accounting practices and Policies to the extent applicable.					
3. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31.03.2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com and on the company's website, www.nutechglobal.com.					
4. The figures of the previous period/year have been regrouped/reclassified wherever considered necessary.					
5. The company's business activities constitute a single operating segment (textiles), in terms of Indian Accounting Standard - 108					
6. The figures of the quarter ended 31st March, 2025 and 31st March, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect to the full financial year and published year to date figures of the third quarter of the respective financial year.					
Date: 30th May 2025 Place: Bhiwara		By the order of the Board For: Nutech Global Limited Rajeev Mukhija Managing Director DIN:-00507367			

कार्यालय ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

क्रमांक:- ग्रा.पं. देवनगर/निविदा/SBM-G/2025-26/41 दिनांक 30-5-2025

ई- निविदा सूचना संख्या 03/2025-26

ग्राम पंचायत देवनगर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य हेतु ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों से निविदा दिनांक 30.05.2025 से 04.06.2025 तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी <http://sppp.rajasthan.gov.in/> & <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

NIB NO:- ZAJ2526A0606

UBN NO: ZAJ2526SLRC00663

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम देवनगर

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I. No. 14931527H Rank HAV Sandeep Kumar Residence at Vill.- Mohammadd pur Mardan, Teh.-Muzaffarnagar, Dist.-Muzaffarnagar (Uttar Pradesh)- 251301 have changed my Son Name from SAKSHAM KUMAR to SHAKSHAM KUMAR. As per Aadhar card. Vide Affidavit No. B2 117992 Dated 29-05-25.	I. RENU SHARMA, Spouse of No. 14931338Y, Rank- Hav- Name- Neeraj Kumar, resident of Vill.-Rehan, Po.-Jeki, Teh.- Kotranika, Dist.- Rajouri (JK)- 185132, want to change my name from RENU SHARMA to RENU BALA in my husband's Army Service Record. Vide Affidavit B2 117991 Dated 29.05.2025.

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

Notice Inviting Bid

(A) BID FOR ESTABLISHING OF CONSTRUCTION OF 2X500 MVA, 400/220 KV SUB-STATION AT AMBER (JAIPUR-NORTH) (DIST. JAIPUR) INCLUDING SUPPLY OF ALL EQUIPMENTS/MATERIALS, ERECTION (INCLUDING CIVIL WORKS), TESTING AND COMMISSIONING (ON TURNKEY BASIS) AGAINST SPECIFICATION No. RVPN/EHV/BN-901800251(U)BN- VPN2526WLOB0629) ARE INVITED FROM INTERESTED BIDDERS UP TO 04:00 PM ON 14.07.2025.

(B) BID FOR Construction of various transmission ELEMENTS (02 No. 400 KV & 220 KV TRANSMISSION LINES) FOR PROPOSED 400 KV GSS AMBER (JAIPUR NORTH) (Dist. Jaipur) with installation of OPGW Network on existing line including survey, supply of all Equipments/Materials, Erection (including civil works), Testing and Commissioning (On Turnkey basis) against Specification No. RVPN/EHV/BN-901800251(U)BN-VPN2526WLOB06030) ARE INVITED FROM INTERESTED BIDDERS UP TO 04:00 PM ON 14.07.2025, namely for:

1. Construction of LILO of CKT-I of 400 KV D/C Sikar (PG)-Bassi (PG) line at proposed 400 KV GSS Amber (Twin Moose) (1.5 Kms).
2. Construction of LILO of CKT-II of 400 KV D/C Sikar (PG)-Bassi (PG) line at proposed 400 KV GSS Amber (Twin Moose) (2 Kms).
3. Construction of LILO of 220 KV S/C Manoharpur-VKIA line at proposed 400 KV GSS Amber (1.5 Km)
4. construction of LILO of 220 KV S/C Manoharpur-Kukus line at proposed 400 KV GSS Amber (1.5 Km).
5. Installation of OPGW network on existing 220 KV Manoharpur-VKIA line (55 Kms).

Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state; and <http://energy.rajasthan.gov.in/rvpnl> departmental website.

**Superintending Engineer
(Contracts-I), Jaipur**

Raj.Samwad/C/25/3348 RRVPN/TR-6875/2025

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF RAMPATI INFRA PRIVATE LIMITED	
RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of corporate debtor	Rampati Infra Private Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	07.12.2016
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Jaipur
4. Corporate Identity No./Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U45309RJ2016PTC056487
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	218-219, Opposite Rajasthan Patrika, Manji K Hotta, Patta, Jodhpur, Rajasthan - 342008
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	28.05.2025 (Order obtained on the website of NCLT on 29.05.2025)
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	24.11.2025 (180th day from the insolvency commencement date i.e. 28.05.2025)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as insolvency resolution professional	Kuldeep Kumar Gupta IBBI/IPA-001/IP-P-02570/2021-2022/ 13943
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	189, Subhash Colony, Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302016 kk Gupta209@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	209, Jaipur Tower, Opposite All India Radio, M I Road, Jaipur - 302001 crp.rampatinfra@gmail.com
11. Last date for submission of claims	11.06.2025 (14th day from the Insolvency commencement date)
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorised representatives are available at:	(a) https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) 209, Jaipur Tower, Opposite All India Radio, M I Road, Jaipur - 302001

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Division Bench, Jaipur has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **Rampati Infra Private Limited** on **28.05.2025**.

The creditors of **Rampati Infra Private Limited**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **11.06.2025** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Kuldeep Kumar Gupta
Interim Resolution Professional for Rampati Infra Pvt. Ltd.

Date: 30.05.2025
Place: Jaipur **having AFA: AA1/13943/2021/11225/107933** valid upto 31-Dec-25

AAVAS FINANCIERS LIMITED (CIN:EL65922011PL1CC034297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020		 SAFNE AAPKE, SAATH HAMARA
POSSESSION NOTICE		
Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of AAVAS FINANCIERS LIMITED under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred upon me under section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrower mentioned herein below to repay the amount mentioned in the respective notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act, read with Rule 9 of the said rules on the dates mentioned as below. The borrower and Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the property will be subject to the charge of the AAVAS FINANCIERS LIMITED for an amount mentioned as below and further interest thereon.		
Name of the Borrower	Date & Amount of Demand Notice	Description of Property
KESHARI DEVI MARHANA, VINOD KUMAR VERMA, PREMCHAND MAHARANIYA (A/C NO.) LNNKAO3522-230244315	9 MAY 24 Rs. 437146/- 6 MAY 24	A RESIDENTIAL PROPERTY PATTI NO 56, BOOK NO.01, MISSAL NO. 79, SITUATED AT SARIT PANCHAYAT THANA, PANCHAYAT GAMIT NEEM KAY CHALA DIST. NEMETATHANA (RAJ) ADMEASURE/94.34 SQ YARD
		PHYSICAL POSSESSION TAKEN ON 28 MAY 25
Place : Jaipur	Date: 31-05-2025	Authorised Officer Aavas Financiers Limited

Aavas FINANCIERS LIMITED			
(CIN:L65922RJ2011PLC034297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur, 302020			
Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002			
As the Financial Assets Became NPA therefore The Authorised Officer (AO) Under section 13 (2) of Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest of 2002 had issued Demand notice to the borrower as given in the table below. According to the Notice if the Borrower does not deposit the Amount within sixty days, the amount will be recovered from Auction of the security as given below. As the demand Notice send to the borrower/guarantor has not been served, copy of demand notice has also been affixed on the secured assets as given below. Therefore you the borrower are informed to deposit the loan amount along with future interest and recovery expenses within 60 days, otherwise under the provisions of section 13 (4) and 14 of the said Act, the AO is free to take possession of the Security as given below.			
Name of the Borrower	Demand Notice Date and Amount	Description of Mortgaged property	
MR. SUKHOVER SINGH, Mrs. PARAM JEET KAUR	May 25 Rs. 61075/-	PROPERTY SITUATED AT PATTA NO. 136, F. PHANOOR, TEH. SRI GANGANAR & DIST SRI GANGANGAR, RAJASTHAN 335023	
MR. GAGANDEEP SINGH (A/C NO.) LNSHR02198-190089394	May 25 Rs. 21106237/- Rs. 136277/-	ADMEUSURING 2700 SQ. FT., PROPERTY (1) SITUATED AT PATTA NO. 28, BOOK NO-12 SITUATED WARD NO. 8 CHACK- 3 S.T.R, GRAM PANCHYAT-24A,S.C, TEH GHARSANA DISTT. SRI SRI GANGANAR & PRO RAJASTHAN 335023 SITUATED AT PATTA NO. 44, BOOK NO-12 SITUATED WARD NO. 8 CHACK- 3 S.T.R, GRAM PANCHYAT-24A,S.C, TEH. GHARSANA DISTT. SRI SRI GANGANAR, RAJASTHAN ADMEUSURING (PROPERTY NO. 1)- 258 SQ. GAJ. & (PROPERTY NO. 2) - 258 SQ. GAJ.	
PREMKUMAR, BAL RAM, RAJKUMAR, SANTOSH DEVI	May 25 Rs. 21106237/-		
GANTOOR SURAT SINGH (A/C NO.) LNANG1721-220181257	May 25 Rs. 21106237/-		

 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Corporate office: Chola Crest, Super B, C54 & C55, 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600 032				
Possession Notice [(Appendix IV) Under Rule 8 (1)]				
WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued Demand Notices dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you to be the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002. The borrowers mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and dealings with the property will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount as mentioned herein under and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13(3) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.				
NAME AND ADDRESS OF BORROWER/S & LOAN/AC No.	DT. OF DEMAND NOTICE	O/S. AMT.	DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY	DATE OF POSSESSION
Loan A/c Nos. HL09UAI000014090 1. Mr/Mrs. ISHWAR LAL TELI 2. Mr/Mrs. JAGDISH CHANDRA TELI 3. Mr/Mrs. LAXMI PARMAR At : Palana khurd,Palana Khurd Udaipur, Shiv mandir, Udaipur, RAJASTHAN - 313204 Also At : Patta No. 8857 and 8856 Arajai No. 3585 /1208 Vill Banda Ki Mangri Rev. Village and Gram Panchayat Palana Khurd Tehsil Mavli Dist Udaipur 313204 Shiv mandir Mavli 313204	24-03-2025	Rs.2034191/- (Rupees Twenty Lakhs Thirty Four Thousand One Hundred Ninety One Only) as on 14-03-2025	Patta no. 8857 & 8856, Arajai no. - 3585/1208, total area of 3264 Sq. Ft., Situated at gram Panchayat – Palana Khurd, Panchayat samiti – Mavli, Dist.- Udaipur, Rajasthan - 313204, and Bounded On: – East:- Aam Rasta, -West:- Badla of Arjun soni, - North:- House of Kulu tel, - South:- House of Hari ram tel	28-05-2025 (POSSESSION)
Place : Udaipur Date : 28-05-2025				
S/O: AUTHORISED OFFICER, CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED				



Bandhan Bank

Regional Office: Netaji Marg, Nr. Mithakhali Six Roads,
Ellisbridge, Ahmedabad-6. Phone: + 91-79-26421671-75

Demand Notice to Borrowers

The under mentioned account turned into N.P.A and demand notice is issued by Bandhan Bank Ltd. to the following borrower(s), under sec.13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (The Act), 2002 which was returned unserved. Hence, this notice is issued to you all and public at large through publication.

Name of borrower(s), Guarantor and Loan Account No.	Description of mortgaged property (Secured Asset)	Date of Demand Notice/Date of NPA	O/S Amount as on Date of Demand Notice	Date of Pasting of Notice
Mr. Geyu Ram Mali Mrs. Pwari Devi Parmar Mr. Madha Ram Mr. Madan Lal Mr. Jagdish Lal 20007080000549	All that piece and parcel of the immovable property situated at Plot No. 5 & 6, Kharsa No. 513, Ward No. 31, Near Raghavadas Ashram, Balotra, Dist. Barmer, Rajasthan Admeasuring 277.77 Sq.yd and same bounded as under: North: Rasta Gali 20ft., East: Plot No.4, West: Rasta Gali 15 ft., South: Rasta Aam 20 Ft.	03.09.2024/ 05.05.2024	Rs.6,59,667.40 (As on 29.08.2024)	26.05.2025

Demand made against you through this notice to repay to the Bank dues mentioned against your name with interest, costs and charges within 60 days from the date hereof, failing which the Bank will further proceed to take steps u/s 13(4) of the SARFAESI Act. The borrowers'/mortgagors' attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Date: Barmer
Place: 31/05/2025

Authorised Officer
Bandhan Bank Limited

AAVAS FINANCIERS LIMITED (CIN: L65922RJ2011PLC034297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020								
AUCTION NOTICE								
Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of AAVAS FINANCIERS LIMITED Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis. The details of the cases are as under.								
Name of Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors/Mortgages	Dues As on	Date & Amount of 13(2) Demand Notice	Date of Possession	Description of Property	Reserve Price For Property	Earnest Money For Property	Date & Time of Auction	Place of Tender Submission, Tender Open & Auction at AAVAS Financiers Ltd.
MANJU KANWAR, MR. RAM SINGH NARUKA GUARANTOR : MR. PAWAN KUMAR SHARMA (AC NO.) LNMJP01415-16002061	Rs. 36,84,81,00/- DUES AS ON 30 MAY 2025	27 NOV 21 Rs. 1902685.41/- DUES AS ON 25 NOV 21	30 SEP 22	FLAT NO:-4, 1ST FLOOR, VAKRANGI APARTMENT-2, PLOT NO E-9, SCHEME MANGLAM CITY, VIL HATOLI, KALWAR ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN ADMEASURING 860 SQ. FT.	Rs. 1052640/-	Rs. 105264/-	11.00 AM TO 01.00 PM 30 JUNE 2025	201-202, 2ND FLOOR, SOUTHEAST SQUARE, MANSAROVAR INDUSTRIAL AREA, JAIPUR, 302020, RAJASTHAN-INDIA

Terms & Conditions: 1). The person, taking part in the tender, will have to deposit his offer in the tender form provided by the AFL which is to be collected from the above branch offices during working hours of any working day, super scribing "Tender Offer for name of the property" on the sealed envelope along with the Cheque/DD/paid order of 10% of the Reserve Price as Earned Money Deposit (EMD) in favour of AAVAS FINANCIERS LIMITED payable at Jaipur on/before time of auction during office hours at the above mentioned offices. The sealed envelopes will be opened in the presence of the available interested parties at above mentioned office of AAVAS FINANCIERS LIMITED The Inter-se bidding, if necessary will also take place among the available bidders. The EMD is refundable if the bid is not successful. 2). The successful bidder will deposit 25% of the bidding amount adjusting the EMD amount as initial EMD immediately or within 24hrs after the fall of the hammer towards the purchase of the asset. The successful bidder failing to deposit the said 25% towards initial payment, the entire EMD deposited will be forfeited & balance amount of the sale price will have to be deposited within 15 days after the confirmation of the sale by the secured creditor; otherwise his initial payment deposited amount will be forfeited. 3). The Authorised officer has absolute right to accept or reject any bid or adjourn/postpone the sale process without assigning any reason therefore. If the date of tender depositing or the date of tender opening is declared as holiday by Government, then the auction will be held on next working day. 4). For inspection and interested parties who want to know about the procedure of tender may contact AAVAS FINANCIERS LIMITED 201,202, 1Ind Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, jaipur-302020 or **Pushpendra Meena – 9875896876** or respective branch during office hours. **Note:** This is also a 15/30 days notice under Rule 9(1)(b) to the Borrowers/Guarantors/Mortgagor of the above said loan accounts about tender inter-se bidding sale on the above mentioned date. The property will be sold, if their out standing dues are not repaid in full.

Place : Jaipur	Date : 31-05-2025	Authorised Officer Aavas Financiers Limited
-----------------------	--------------------------	--

BEFORE THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL-I AT BENGALURU
4th Floor, Telephone House Building
Raja Bhavan Road, BENGALURU-560001
IN THE MATTER OF
O.A.No.389/2024

Between :
Federal Bank Limited Applicant

Versus
Mr. Deelip Seervi Defendant

SUMMONS ISSUED TO DEFENDANT UNDER RULE 23 (VIII) OF THE DEBTS
RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES OF 1993 BY PAPER PUBLICATION

WHEREAS the Applicant has instituted an application under section 19 of Recovery of Debts due to banks and financial institution Act, 1993 against you for recovery of a sum of **Rs.63,60,221/- (Rupees Sixty Three Lakhs Sixty Thousand Two Hundred Twenty One only)** with current and future interest, cost and other reliefs.

You are hereby required to show cause within 30 days from the date of publication of this summons or on 22.07.2025 at 11.00 A.M. in person or by pleader/Advocate duly instructed as to why the reliefs prayed for should not be granted.

Take notice that in case of default the application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal on this 17th day of May 2025.

By Order of the Tribunal
Registrar
Debts Recovery Tribunal - I
Bengaluru

DEFENDANT:
Mr. Deeep Seervi, S/o. Ganesh Seervi, aged Major
Residing at Kadmwala Bera, Jodhpur, Rajasthan-342602
Aadhar No.496771366235